

**कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय**  
**ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)**

क्रमांक 166/01/आउशि/योजना/2023

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/06/2023

प्रति,

प्राचार्य  
समस्त संबंधि महाविद्यालय  
छत्तीसगढ़

**विषय:—** मुख्य बजट 2023-24 के नवीन मद में किए प्राध्वान अनुसार 28 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु 112 पदों के सृजन की स्वीकृति।

**संदर्भ:—** छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 3-27/2023/38-1 दिनांक 20.06.2023.


—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश द्वारा 28 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु 112 पदों के सृजन की स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2023-38-00398/बी-3 दिनांक 19.06.2023 के द्वारा प्रदान की गई सहमति अनुसार दि गई है।

जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सलंगन प्रेषित है।

सलंगन:— उपरोक्तानुसार

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

  
संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

जिला-रायपुर

// आदेश //

No. L-201-22-1036  
AD-101-DO  
22 JUN 2023  
C.H.E.

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 20 JUN 2023

क्रमांक एफ 3-27/2023/38-1 :: राज्य शासन एतद्वारा 28 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु 112 पद के सृजन की सहमति दी जाती है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	मांग संख्या	महाविद्यालय का नाम	वांछित सीट संख्या	वांछित कक्षा/संकाय	आवश्यक पद संख्या				
					प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक	प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक	कुल
1	44	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर जिला रायपुर	40	एम.ए. भूगोल	1	1	1	1	4
			40	एम.ए. समाजशास्त्र	1	1	0	0	2
2	44	मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला जिला बालोद	20	एम.ए. समाजशास्त्र	1	1	0	0	2
3	44	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, मचेवा जिला महासमुंद	30	एम.कॉम.	1	1	0	0	2
4	44	शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर जिला बिलासपुर	30	एम.कॉम.	1	0	0	0	1
			30	एम.एससी. रसायनशास्त्र	1	1	1	1	4
5	44	शासकीय डॉ. राधाबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर जिला रायपुर	20	एम.एससी. रसायनशास्त्र	1	1	1	1	4
			20	एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	1	1	1	1	4
6	44	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा जिला जांजगीर चांपा	40	एम.ए. हिन्दी	1	1	0	0	2
7	44	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	40	एम.ए. भूगोल	1	1	1	1	4
8	44	शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीपत जिला बिलासपुर	40	एम.एससी. रसायनशास्त्र	1	1	1	1	4
			25	एम.कॉम.	1	1	0	0	2
9	44	शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय, कवर्धा जिला कबीरधाम	30	एम.एससी. रसायनशास्त्र	1	1	0	0	2
10	44	शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेन्द्र नगर रायपुर जिला रायपुर	20	एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	1	1	1	1	4
			40	पी.जी.डी.सी.ए.	1	1	1	0	3
11	44	शासकीय किशोरी मोहन त्रिपाठी कन्या महाविद्यालय, रायगढ़ जिला रायगढ़	40	एम.ए. इतिहास	1	0	0	0	1

12	44	शासकीय शास्त्र पत श्री गंधमुनि नाम साहब स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा जिला कबीरधाम	30	एम.एससी. (सूचना प्रौद्योगिकी)	1	1	1	1	4
13	44	शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोड़ला जिला कबीरधाम	40	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	1	0	0	0	1
14	44	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगांव जिला रायपुर	40	एम.ए. समाजशास्त्र	1	1	0	0	2
15	44	शासकीय स्व. चन्द्रलाल चन्द्राकर कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पाटन जिला दुर्ग	40	एम.एस.डब्लू. (MSW)	0	2	0	0	2
16	44	शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा	30	एम.ए. समाजशास्त्र	1	0	0	0	1
17	44	शासकीय पं. जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा जिला बेमेतरा	30	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	1	1	0	0	2
18	44	शासकीय शहीद बापूराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुकमा जिला सुकमा	40	एम.कॉम.	2	0	0	0	2
			40	एम.एससी. रसायनशास्त्र	2	0	0	0	2
19	44	शासकीय पालूराम धनानिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़ जिला रायगढ़	40	एम.ए. हिन्दी साहित्य	1	1	0	0	2
20	44	बाबू पंढरी राव कृदत्त शासकीय महाविद्यालय, सिलौटी जिला धमतरी	30	एम.ए.भूगोल	1	1	1	1	4
21	44	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद जिला धमतरी	20	एम.एससी. सूचना प्रौद्योगिकी	1	2	1	1	5
22	44	शासकीय महाविद्यालय बेलोदी जिला बालोद	30	एम.ए. राजनीतिविज्ञान	1	0	0	0	1
			30	एम.ए. समाजशास्त्र	1	0	0	0	1
			30	एम.एससी. प्राणीशास्त्र	1	0	1	1	3
			30	एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	1	0	1	1	3
23	41	शासकीय महाविद्यालय पाली जिला कोरबा	20	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	1	0	0	0	1
24	41	नायक नित्यानंद साई शासकीय महाविद्यालय आरा जिला जशपुर	20	एम.एससी. रसायनशास्त्र	1	1	0	0	2
25	41	शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर जिला सरगुजा	30	एम.एससी. प्राणीशास्त्र	1	1	0	0	2
26	41	शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय, मरवाही जिला गौरेला पेन्द्रा मरवाही	20	एम.एससी. प्राणीशास्त्र	1	1	1	1	4
			40	एम.ए. हिन्दी साहित्य	1	1	0	0	2
			40	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	1	1	0	0	2
			40	एम.ए. समाजशास्त्र	1	1	0	0	2
27	41	शासकीय कन्या महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	30	एम.कॉम.	1	0	0	0	1
			30	एम.ए. अर्थशास्त्र	1	0	0	0	1
			30	एम.ए. हिन्दी	1	0	0	0	1

28	41	शासकीय महाविद्यालय, तमनार जिला रायगढ़	40	एम.ए. हिन्दी साहित्य	1	0	0	0	1
			40	एम.ए. राजनीति विज्ञान	1	0	0	0	1
			30	एम.ए. समाजशास्त्र	1	0	0	0	1
			30	एम.एससी. रसायनशास्त्र	1	0	1	1	3
			20	एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र	1	0	1	1	3
			20	एम.एससी. प्राणीशास्त्र	1	0	1	1	3
			15	एम.कॉम.	1	1	0	0	2
					49	30	17	16	112

उक्त तालिका के सरल क्र. 01 से 22 तक पदों का व्यय मांग संख्या-44-उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0101-राज्य आयोजना सामान्य-(103)-सरकारी कालेज और संस्थाये-798-कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद अंतर्गत तथा तालिका के सरल क्र. 23 से 28 तक के पदों का व्यय मांग संख्या-41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-(103)-सरकारी कालेज और संस्थाये-798-कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

2/ उक्त तालिका अनुसार उल्लेखित शासकीय महाविद्यालयों में उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन विषय/संकाय का संचालन महाविद्यालय द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के उपरांत ही किया जावेगा। संबद्धता प्राप्त करने की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।

3/ उक्त तालिका अनुसार उल्लेखित शासकीय महाविद्यालयों में उनके नाम के सम्मुख अंकित नवीन विषय/संकाय यदि पूर्व से स्ववित्तीय योजना अंतर्गत/जनभागीदारी मद अंतर्गत संचालित हो रहे हों, तो उसे तत्काल बंद किया जायेगा तथा उक्त विषय/संकाय को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से नियमित रूप से शासन स्तर पर संचालित किया जायेगा।

4/ उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की विसंगति होने पर या महाविद्यालय में उपरोक्त में से कोई विषय/पाठ्यक्रम पूर्व से स्वीकृत होने अथवा महाविद्यालय को संबंधित विषय/पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होने पर प्राचार्य की जवाबदारी होगी कि आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को ई-मेल से अथवा विशेष वाहक के हस्ते सूचित करेंगे।

5/ जिन महाविद्यालयों में उपरोक्त स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम का संचालन जनभागीदारी अथवा स्व-वित्तीय मद से किया जा रहा है, उन्हें इसी सत्र 2023-24 से नियमित विभागीय विषय/संकाय/पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जायेगा तथा जनभागीदारी/स्व-वित्तीय व्यवस्था को तत्काल बन्द किया जायेगा।

7/ उपरोक्त सहमति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2023-38-00398/बी-3, दिनांक 19.06.2023 अनुसार दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,  
तथा आदेशानुसार,

( आर.ए.मिर्मलकर )

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 20/06/2023

पृ. क्रमांक एफ 3-27/2023/38-1

प्रतिलिपि :-

1. माननीय मंत्री जी के विशेष सहायक, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सहायक, सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त ज्ञापन क्रमांक 04/01/आउशि/योजना/2023-24, दिनांक 05.04.2023 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

4. संबंधित प्राचार्य.....

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5. आर्डर फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग